अनुदान संख्या 74 – विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 74 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11102,46,00		14098,03,00	13076,95,55	-1021,07,45
पूरक	Supplementary	2995,57,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					997,86,71
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3708,40,00		3868,41,00	1940,94,74	-1927,46,26
पूरक	Supplementary	160,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1927,05,69

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹102107.45 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹299557.00 लाख के पूरक अनुदान का 34 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹102107.45 lakhs) constituted 34 percent of the supplementary grants of ₹299557.00 lakhs obtained in December, 2017and March, 2018 and 7 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	4035.00			
पू.	S.	1.00	3877.78	3854.65	-23.13
पु.	R.	-158.22			
मुख्य शीर्ष “2252”	Major Head “2552”				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	100415.00			
			..	..	..
पु.	R.	-100415.00			
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”				
विद्युत	Power				
मू.	O.	1005796.00			
पू.	S.	299556.00	1306138.51	1303840.90	-2297.61
पु.	R.	786.51			

(I) ₹100415.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(का) “ग्रामीण विद्युतीकरण – अन्य व्यय – ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण” – ₹26715.00 लाख;

(खा) “पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन” –

(क) “विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण” – ₹37200.00 लाख; और

(I) Provision of ₹100415.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification and Feeder Separation”- ₹26715.00 lakhs;

(B) “Transmission and Distribution - Direction and Administration” -

(a) “Strengthening of Power Systems”- ₹37200.00 lakhs; and

(ख) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹36500.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2801" – "निदेशन और प्रशासन – अन्य व्यय – विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹10500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6500.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹9192.94 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्वीकृत/चलायी जा रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने और जम्मू एवं कश्मीर सरकार से कम दावें प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः–

(का) "पारेषण और वितरण" –

(क) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम – सौभाग्य" – ₹45000.00 लाख की निधि पूरक अनुदान से प्राप्त करके उपलब्ध करा दी गई थी, तथापि, जो, ₹36062.00 लाख की सीमा तक डीआईएससीओएमएस से शहरी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन संबंधित दावों की प्राप्ति न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(ख) "आराक्षित निधि को अंतरण – विद्युत प्रणाली विकास निधि को अंतरण" – ₹75000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹27241.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़कर ₹102241.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹2241.26 लाख की सीमा तक उत्पादन और अनुमानित व्यय की अपेक्षा गैस

(b) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - ₹36500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution - Other Expenditure - Strengthening of Power Systems" - the original provision of ₹10500.00 lakhs was augmented to ₹17000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6500.00 lakhs. However, there was a saving of ₹9192.94 lakhs (including supplementary grant) - due to slow progress of sanctioned/ongoing projects and non-receipt of claims from Jammu & Kashmir Government.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2801"- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Transmission and Distribution"-

(a) "Integrated Power Development Scheme - Saubhagya" - funds of ₹45000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹36062.00 lakhs - due to non-receipt of claims towards electricity connection in urban areas from DISCOMs.

(b) "Transfer to Reserve Fund- Transfer to Power System Development Fund (PSDF)"- the original provision of ₹75000.00 lakhs was augmented to ₹102241.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹27241.00 lakhs

की कीमतों में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "ग्रामीण विद्युतीकरण – दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" –

(क) "ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण" – ₹435075.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹58600.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹493675.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹5648.74 लाख की सीमा तक ग्रामीण विद्युतीकरण (प्रधानमंत्री विकास पैकेज) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की सरकार से दावे प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(ख) "सौभाग्य" – ₹152215.00 लाख की निधि पूरक अनुदान से प्राप्त करके उपलब्ध करा दी गई, तथापि, जो ₹5820.26 लाख की सीमा तक कार्यान्वयन एजेंसियों से स्पष्टीकरण की प्राप्ति में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रही।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – विद्युत मंत्रालय" – ₹181.35 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4036.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और प्रकाशन, विदेशी यात्रा तथा पेशेवर सेवाओं संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "पारेषण और वितरण" –

(क) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम" –

which, however, remained unutilised to the extent of ₹2241.26 lakhs - due to reduction in generation and gas prices against the anticipated expenditure.

(B) "Rural Electrification - Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana"-

(a) "Rural Electrification and Feeder Separation"- the original provision of ₹435075.00 lakhs was augmented to ₹493675.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹58600.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹5648.74 lakhs - due to non receipt of claims from Government of Jammu & Kashmir under Rural Electrification (Prime Minister's Development Package).

(b) "Saubhagya"- funds of ₹152215.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹5820.26 lakhs - due to delay in receipt of clarification from the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "3451"- "Secretariat - Ministry of Power"- saving of ₹181.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4036.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards publication, foreign travel and professional services.

(V) Under Major Head "2801" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Transmission and Distribution"-

(a) "Integrated Power Development Scheme" -

(i) "पीएमडीपी 2015 जम्मू और कश्मीर पैकज (केंद्रीय एजेंसी के द्वारा)" – ₹7679.00 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ii) "एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए विद्युत वित्त निगम" – ₹3055.33 लाख की बचत (₹226122.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अन्य व्यय – पीएसडीएफ से पूरी की जाने वाली उत्पादन क्षमता आधारित गैस के प्रयोग के लिए स्कीम" – ₹2241.26 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत चलायी जा रही परियोजनाओं संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और व्यय वित्त समिति / स्थायी वित्त समिति के अंतिम रूप लिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य" –

(क) "अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹9964.16 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ख) "विद्युत संरक्षण अधिनियम 2003 – सांविधिक प्राधिकरण" – ₹1319.07 लाख की बचत (₹17355.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, छुट्टी के लिए नोटिस की वजह से किराए का अग्रिम भुगतान न होने, सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति का मूर्त रूप न दिए जाने और पेशेवर सेवाओं संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(i) "PMDP 2015 Jammu and Kashmir Package (Through Central Agency)" - saving of ₹7679.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(ii) "Power Finance Corporation for Integrated Power Development Scheme" - saving of ₹3055.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹226122.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure - Scheme for utilization of gas based generation Capacity to be met from PSDF" - saving of ₹2241.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards ongoing projects and delay in finalisation of Expenditure Finance Committee/Standing Finance Committee.

(B) "General"-

(a) "Research and Development - Research and Training" - saving of ₹9964.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(b) "Administration of Electricity Act 2003 - Statutory Authorities" - saving of ₹1319.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17355.75 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-payment of advance rent owing to notice for vacation, non-materialisation of procurement of software and requirement of less funds towards professional services.

(ग) "विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 का कार्यान्वयन – संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" – ₹3654.00 लाख की बचत (₹10054.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को समर्थन संबंधित कार्यकलापों के उन्नयन में विलंब होने के कारण और एकत्रीकरण मॉडल के संदर्भ में कार्यक्रम रूप रेखा का संशोधन होने के कारण हुई।

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹66741.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹299555.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

(क) "अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹30000.00 लाख।

(ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना" – ₹9500.00 लाख।

(खा) "अन्य व्यय – पीएसडीएफ से पूरी की जाने वाली विद्युत प्रणाली विकास स्कीम" – ₹27241.00 लाख।

(II) "बचतें मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विद्युत व्यवस्था सुधार परियोजना के लिए विश्व बैंक अनुदान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹18750.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पैकेज लागत में वृद्धि तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान होने के कारण हुआ।

(c) "Administration of Energy Conservation Act 2001 - Conservation and Energy Efficiency"- saving of ₹3654.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10054.00 lakhs) was due to delay in uptake of activities related to supporting energy management systems for designated consumers and revision of programme framework in the light of aggregation model.

2. (I) The above savings were partly (₹66741.00 lakhs)utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹299555.00 lakhs under Major Head "2801" - "Transmission and Distribution" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration"-

(a) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim"- ₹30000.00 lakhs.

(b) "Power System Improvement Project for NER" - ₹9500.00 lakhs.

(B) "Other Expenditure - Scheme for Power System Development to be met from PSDF" - ₹27241.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801"- "Transmission and Distribution - Direction and Administration - World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - excess of ₹18750.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and increase in cost of package and payment for acquisition of lands.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹192746.26 लाख) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹16001.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹192746.26 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹16001.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018 and constituted 50 percent of the total sanctioned provision.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ :–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	26745.00			
पू.	S.	16000.00	..	..	..
पु.	R.	-42745.00			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	54095.00			
पू.	S.	1.00	62923.00	62882.43	-40.57
पु.	R.	8827.00			
मुख्य शीर्ष "6552"	Major Head "6552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कर्ज	Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	34500.00	..	..	..
पु.	R.	- 34500.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6801"	Major Head "6801"				
विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज	Loans for Power Projects				
मू.	O.	255500.00	131212.31	131212.31	..
पु.	R.	-124287.69			

(I) ₹97017.00 लाख का प्रावधान चार मामलों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹97017.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹42745.00 लाख (₹16000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Diesel/Gas Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Assistance to CPSEs" - ₹42745.00 lakhs (including supplementary grant of ₹16000.00 lakhs) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "4801" –

(क) "ताप विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम" – ₹12272.00 लाख – राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से मांग की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(ख) "सामान्य – अन्य व्यय – विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹7500.00 लाख – भारतीय पावरग्रिड निगम लिमिटेड से मांग की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(B) Major Head "4801" -

(a) "Thermal Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - National Thermal Power Corporation of India"- ₹12272.00 lakhs - due to non-receipt of demand from National Thermal Power Corporation.

(b) "General - Other Expenditure - Strengthening of Power Systems" - ₹7500.00 lakhs - due to non-receipt of demand from Powergrid Corporation of India Limited.

(ग) मुख्य शीर्ष "6552" – "विद्युत परियोजनाओं को कर्ज – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए" ₹34500.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(C) Major Head "6552" - "Loans to Power Projects - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme" - ₹34500.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4801" – "जल विद्युत – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – के अंतर्गत ₹2000.00 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विष्णुगढ़ पीपलकोटि हाइड्रो परियोजना में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4801"- "Hydel Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Assistance to CPSEs" - saving of ₹2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to slow progress in Vishnugarh Pipal Koti Hydro Project.

(III) मुख्य शीर्ष "6801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(III) Under Major Head "6801"- savings occurred under the following heads:-

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज"–

(A) "Loans to Public Sector and Other Undertakings"-

(क) "सीपीएसई को सहायता" – ₹5000.00 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किशन गंगा और निम्बू बाज़गू हाइड्रो परियोजना में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Assistance to CPSEs"- saving of ₹5000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to slow progress in Kishan Ganga and Nimboo Bazgoo Hydro Project.

(ख) "विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए" – ₹106287.69 लाख की बचत (₹190500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वास्तविक पुरस्कार लागत परियोजनाओं की स्वीकृत लागत से कम हो गई।

(b) "Power Finance Corporation - for integrated Power Development Scheme" - saving of ₹106287.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹190500.00 lakhs) was due to actual award cost came out to be lesser than the sanctioned cost of the projects.

(खा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – विद्युत वित्त निगम – एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के लिए" – ₹13000.00 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोगिता द्वारा संयुक्त दावा प्रस्तुत करने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Power Finance Corporation - for Integrated Power Development Scheme"- saving of ₹13000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to delay in submission of composite claim by utility.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹30599.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष "4801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹16001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – सीपीएसई को सहायता" – ₹9600.00 लाख।

(II) "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन – विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" ₹20999.00 लाख।

4. The above savings were partly (₹30599.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹16001.00 lakhs under Major Head "4801" - under the following heads:-

(I) "Diesel/Gas Power Generation - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Assistance to CPSEs" - ₹9600.00 lakhs.

(II) "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Strengthening of Power Systems" - ₹20999.00 lakhs.